(e) whether the position of the company management as spelt out in the said letter stand reversed and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (d) There was a discussion held on 23-7-93 in the Office of the then Joint Secretary Department of Heavy Industry with the representatives of the Union and Associations alongwith CMD/CCIL himself about various issues concerning revival of CCIL. However, no commitment was made on behalf of the Govt. What has been conveyed by CMD vide letter dated 24-8-93 does not correctly reflect the Govt. position and in any case this cannot be construed as minutes of the said discussion.

(e) The Management cannot take a stand regarding reimbursement by the Government.

मारुति उद्योग के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही

2626. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के निदेशन तथा प्रबंध निदेशक के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो से तीन मामलों में कार्यवाही करने की अनुशंसा की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नवम्बर, 1994 तक इस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) कार्यवाही के क्या परिणाम रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकार को संदर्भित कथित संविदा दिए जाने एयर-कंडीशनरों की प्राप्ति तथा गाजियाबाद में एक एजेन्सी दिए जाने संबंधी तीन मामलों के बारे में, सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को बताया है कि वे उपर्युक्त मामलों पर, प्रत्येक के गुणावगुण के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं ।

Providing self-employment to educated unemployed youth

2627. SHRI ISH DUTT YADAV :
SHRI AAS MOHAMMAD :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have not considered all the applications which were received during the last year, for providing self-employment to the educated unemployed youths under Employment to Educated Un-employed Youth;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what is Government's reaction in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (c) Under the Self Employment for Educated Unemployed Youths (SEEUY) Scheme, the applications received by the State agencies were to be scrutinised and recommended to banks. The banks on further examination sanctioned some cases while some were rejected and some remained pending.

As per information for the year 1993-94 received from States/UTs 3,38,491 applications were received, 1,38,772 applications were recommended to banks by District Industries Centre Task Forces and 50,603 applications were sanctioned loan by banks. Self Employment for Educated Unemployed Youth Scheme was subsumed with Prime Minister's Rozgar Yojna in 1994-95.

The States/UTs have been advised that if there are still application pending under SEEUY Scheme the applicants may be advised to apply under the PMRY Scheme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के बीच विवादों के संबंध में मध्यस्थता तंत्र

2628. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों के बीच तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच

विवाद को निपटाने हेतु एक स्थाई मध्यस्थता तंत्र की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नवम्बर, 1994 तक इस तंत्र द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पी एम ए) की स्थापना की गई है ताकि जब आपस में विवादों के निपटारे के सभी प्रयत्न असफल हो जायें तो सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के एक-दूसरे के बीच, सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम तथा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के बीच और पत्तन न्यास और केन्द्रीय सरकार के विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटारा हो सके।

(ग) स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ की नियुक्ति 6-8-1990 को की गई थी। नवम्बर, 1994 तक 37 वाणिज्यिक विवाद मध्यस्थ को सौंपे गये हैं और 11 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करना

2629. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों को 60 दिन के भीतर निपटाने का प्रावधान बनाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे प्रावधान के बावजूद सरकार उक्त आवेदनों पर उनकी प्राप्ति के 60 दिन के अंदर विचार नहीं करती ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदन पर प्रत्येक पर कितना समय लगा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की यह कोशिश है कि सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटा दिये जायें। किन्तु, कुछ अपरिहार्य कारणों से उक्त समय सीमा का हमेशा पालन कर पाना संभव नहीं है। कुछ मामलों में जब औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों में कमी होती है और पार्टी को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा जाता है, अथवा जब कुछ उद्योग/उद्योगों के संबंध में नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा होता है तो देरी होती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, 45% (लगभग) आवेदन प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर और 70% (लगभग) आवेदन प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर निपटा दिए गए थे।

Cha rman, MDs of Public Sector Undertakings

2630. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether top level posts, viz. Chairman, Managing Directors in the Public Sector Undertakings are filled up on the recommendations of the Bureau of Public Enterprises and if so, the details of names recommended by it during the last three years ;

(b) what are the names of PSUs which are still functioning without Chairman and Managing Directors and by when the same are proposed to be filled up; and

(c) the names of PSUs which are proposed to be privatised and by when ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) No, Sir.

(b) As per available information, there were 32 PSUs which were functioning without Chairman and Managing Directors as on 30-11-1994. The names of these PSUs are given in the Statement (*See* below). Posts of CMD are filled up by the concerned administrative Ministries/Departments in accordance with the prescribed procedure which includes selection by PESB and approval by the Government. This is an ongoing process.

(c) No decision has yet been taken to privatise any sector undertaking.